ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क

अंक : 10 जून–2019 त्रैमासिक न्यूज़ लैटर

पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से कई बच्चों को बंधुआ मजदूरी से कराया मुक्त

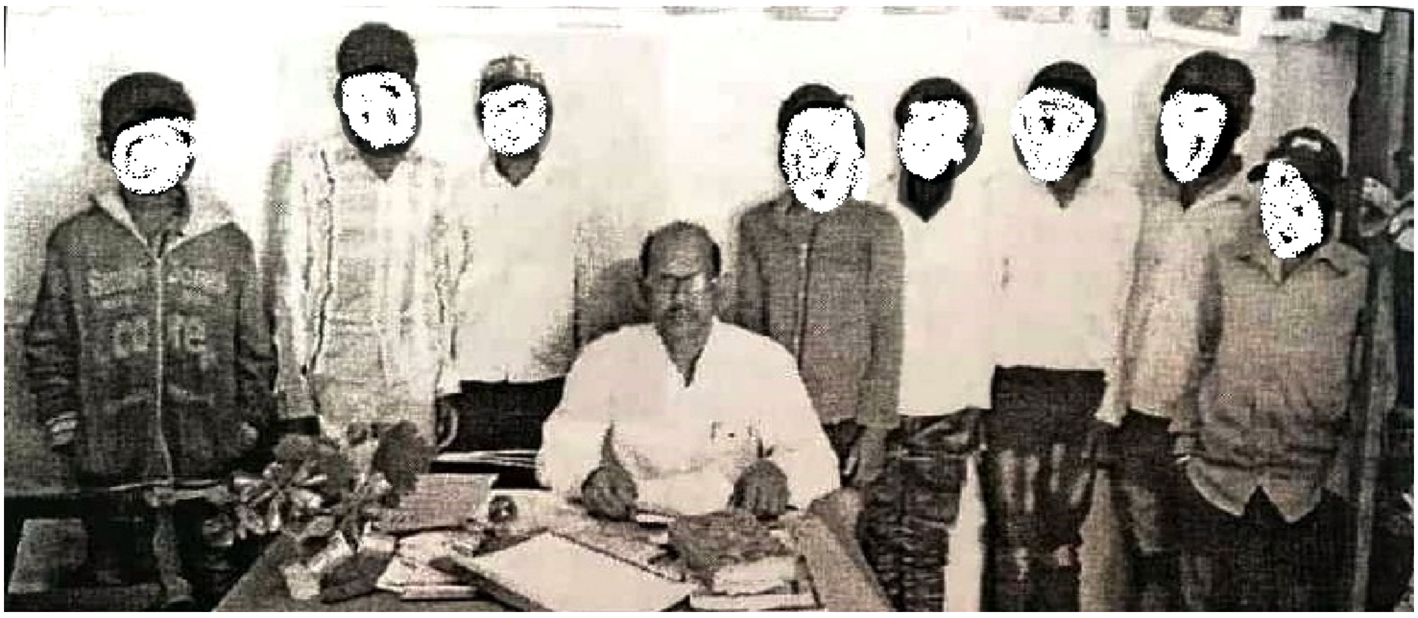

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं ने पिछले तीन माह में देश के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार से कई बच्चों को बंधुआ मजदूरी के जाल से मुक्त कराया।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंधुआ मजदूरी एक अपराध है लेकिन आज भी हमारे समाज में लोगों को बंधुआ बना कर रखा जाता है। अधिकांश लोग बंधुआ मजदूरी से यह अर्थ लगाते हैं कि मजदूरों को बेड़ियों या जंजीरों से बाँध कर रखा जाना ही बंधुआ मजदुरी है, जबकि यह सत्य नहीं है। हालाँकि पुराने जमाने में बंधुआ मजदूरों को ऐसे ही रखा जाता था। परन्तु आज मजदूरों के जीवन में पैसे का लालच, गैर–कानूनी कर्जा चुकाने का भार या किसी पुरानी प्रथा के रूप में जबरदस्ती काम कराया जाता है जिसमें पीड़ित की मजबूरी या उसके बंधुआ होने का अनुभव न होना ही एक अदृश्य जंजीर एवं बेड़ियाँ हैं।

देश में 1976 में ही बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 लागू कर दिया था; ताकि कोई भी किसी को बंधुआ बना कर काम न करा सके। परन्तु हमारे समाज में ये प्रथा बंद नहीं हुयी। आज भी ईंट भट्ठों, खेती किसानी, कारखानों में, घरों में, असंगठित कार्यों, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार में लोगों को बंधुआ बना कर रखा जाता है और इसके लिए सबसे आसान लक्ष्य बच्चे होते हैं।

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आधुनिक दासता की सम्भावना को रोकने और आधुनिक दासता से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य करता है; ने ऐसे ही सैंकड़ो बाल श्रमिकों को पुलिस एवं

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दो शब्द

सम्मानित पाठक गण

सादर अभिवादन!

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के न्यूज लेटर के 10वें अंक को आपको समर्पित करते हुए बेहद खुशी एवं गर्व हो रहा है।

हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं। कुछ दिन बाद हम सभी आजादी के सबसे महान पर्व स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। इस बात से गौरवान्वित हो रहे होंगे कि हम सभी एक आजाद मुल्क के आजाद लोग है। लेकिन हमारे ही सरजमीं पर तमाम ऐसे देशवासी है, जो वास्तविक आजादी से कोसों दूर बंधुआ का जीवन जीने को मजबूर हैं।

हमारे देश में सन् 1976 में ही बंधुआ श्रम निषेध कानून आ गया था और बंधुआ मजदूरी कुप्रथा को देश से उन्मूलित मान लिया गया, लेकिन आज भी देश के अधिकांश भागों में बच्चे, महिलायें और पुरुष बंधुआ मजदूरी में शोषित होने को मजबूर है। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन केवल कानून के भरोसे नहीं किया जा सकता, इसमें जन मानस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आज नागर समाज को बढ़कर आगे आना होगा, अपनी इन जिम्मेवारियों के साथ, जिन कर्तव्यों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है। किसी भी सभ्य समाज की ये जिम्मेवारी है कि उनके देश व क्षेत्र में कोई शोषित, उपेक्षित व प्रताड़ित न हो। उन्हें उस तंत्र का विरोध करना होगा, जो बंधुआ श्रम को पैदा करता है, उसको संपोषित करता है।

ये सच है किसी भी देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन जब तक हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, जिससे किसी के अधिकारों का संवर्धन होता हो, तब तक हमारे देश में लोग शाषित उपेक्षित होते रहेंगे। आईये! अपनी नागरिक जिम्मेवारी निभायें, देश को बंधुआ श्रम से मुक्त बनायें और आजादी के उस पर्व को मनायें, जो हर एक की आजादी की सुनिश्चत करें।

सादर

–**भानुजा शरण लाल**, सदस्य संपादकीय मंडल

उत्तर प्रदेश की 05 स्वयं सेवी संस्थायें बनीं ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की सदस्य

शिखर प्रशिक्षण संस्थान, मिर्ज़ापुर

सेफ सोसाइटी, गोरखपुर

ग्राम स्वराज समिति, सोनभद्र

तरुण चेतना संस्थान, प्रतापगढ़

ग्रामीण विकास संस्थान, मऊ

दहेज मुक्त और कर्ज मुक्त विवाह की ओर एक नयी पहल

उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला; जो कि यहाँ होने वाले कुम्भ के लिए जाना जाता है, शायद आज से कुछ वर्षों बाद इसे दहेज मुक्त एवं कर्ज मुक्त विवाहों के लिए भी जाना जाएगा।

जी हाँ, ऐसा इसलिए हो सकता है; क्योंकि ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क से जुड़े समुदाय आधारित संगठन (community based organization) प्रगति वाहिनी ने साथी संस्था प्रगती ग्रामोद्योग संस्थान के सहयोग से चतुर्थ मुक्त विहान परिणय समारोह प्रयागराज के राममनोहर प्रजापति इंटर कालेज में आयोजित किया; जिसमें आदिवासी और वनवासी समाज के 26 युवा दाम्पत्य सूत्र में बँधे।

यह हम सभी जानते हैं कि हर माता–पिता अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करने का पुरजोर प्रयास करते है और ऐसा ही प्रयास आदिवासी और वनवासी समाज के माता–पिता भी करते थे। इन शादियों के लिए वे दस से बीस हजार रुपये कर्जा, दस प्रतिशत प्रतिमाह के ब्याज

पर लेते थे, जो कि 120 % वार्षिक ब्याज के बराबर हो जाता था। यह एक गैर कानूनी व्यवस्था है, जो आज भी खुले आम समाज में चलती है। इस गैर कानूनी प्रणाली की वजह से कई मजदुर परिवार बंधुआ मजदूरी के जाल में फंस जाते हैं। इस सब से अपने समुदाय के लोगों को बचाने हेतु ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क से जुड़े समुदाय आधारित संगठन (community based organization) प्रगति वाहिनी, साथी संस्था प्रगती ग्रामोद्योग संस्थान के सहयोग से मिलकर प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह करवाते हैं। जिसका खर्चा समाज के आम जन के सहयोग से होता है। इस समारोह के लिए लोग खुलकर सहयोग करते हैं। चाहे जलपान या भोजन की व्यवस्था हो, आयोजन की व्यवस्था हो अथवा समारोह में शादी करने वाले जोड़ों को उपहार देने की, सभी कुछ लोगों के सहयोग से ही होता है।

इस वर्ष के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करने वाले नवदम्पत्तियों को उपहार में घरेलू उपयोग की सामग्री के अलावा आँवले के पौधे दिये गये, जिसको जोड़ों ने अपनी शादी की पवित्र निशानी मानकर स्वीकर किया और उसे श्रद्धापूर्वक घर लेजाकर पति–पत्नी ने एक साथ रोपित किया।

सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन केवल कुछ परिवारों का उत्सव या कुछ युवाओं का दाम्पत्य सूत्र बंधन भर नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। आदिवासी और वनवासी परिवारों में बीमारी के बाद सबसे ज्यादा कर्ज शादियों हेतु लिए जाते हैं। लड़के–लड़कियों की शादी के लिए लिया गया कर्ज उस परिवार के बंधुआपन का कारण बनता है। ऐसे हजारों परिवार हैं, जो अपनी शादी में लिये गये कर्ज को शादी के कई वर्ष बाद तक अदा कर रहे हैं। शादी के कर्ज के चलते आज भी कई परिवार बंधुआ हैं। ऐसी स्थिति में मुक्त विहान परिणय समारोह केवल विवाह समारोह नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश है।

सामान्यतया शादियों में वर–कन्या सात वचन निभाने का संकल्प लेते हैं। मुक्त विहान परिणय समारोह में सम्मिलित हर व्यक्ति निम्न सात संकल्प लेता है :

- नवविवाहितों को बंधुआपन से मुक्त रखेंगे;
- इन्हें कर्ज के कुचक्र में नहीं फँसने देंगे;
- सम्मान की जिन्दगी जीने के लिए रोजगार का उपहार देंगे;
- स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बचत करना सिखायेंगे;
- सुखी एवं खुशहाल जीवन के लिए शिक्षा देंगे;
- हम अपने पुत्रों में स्त्री का; विशेष कर पत्नी का सम्मान करने की शिक्षा देंगे।
- अपनी पुत्रियों को वर के परिवार और वर का सम्मान करने व स्नेह देने की शिक्षा देंगे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से कई बच्चों को बंधुआ मजदूरी से कराया मुक्त

प्रशासन के सहयोग से बंधुआ मजदूरी के जाल से मुक्त कराया है।

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था तटवासी समाज न्यास ने बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस से लखनऊ ले जा रहे 08 बच्चों को एक दलाल के चंगुल से मुक्त कराया और दलाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाई। इस मुक्ती अभियान में जी. आर. पी., राजगीर ने पूरा सहयोग दिया। सभी बच्चों की उम्र 13 वर्ष से कम थी और सभी बिहार के ही रहने वाले थे; जिन्हें संस्था के सहयोग से उनके माता–पिता को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुपुर्द किया गया। संस्था के प्रतिनिधि ने बताया कि बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह दलाल फ़ैल चुके हैं, जो बच्चों एवं उनके परिवार को बहला फुसला कर ले जाते हैं और फिर बंधुआ मजदुर की तरह काम कराते हैं।

इसी तरह उत्तर प्रदेश में ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था रोजा और मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान ने गुजरात से 10 बच्चों को मुक्त कराया। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी दलालों का जाल फैला हुआ है, जो ऐसे माता–पिता को चुनते हैं, जो अपने बच्चे के कमाने लायक होने का इन्तजार करते हैं। ये दलाल ऐसे माता–पिता को झूटे प्रलोभन देकर उनके बच्चों को ले जाते हैं।

साथी संस्था को सामुदायिक बैठक के दौरान एक बच्चे के बन्धुआपन में फंसे होने की जानकारी मिली। जब संस्था के साथियों ने खोजबीन की, तो पता चला कि उस बच्चे के साथ नौ और भी बच्चें हैं, जो गुजरात के राजकोट जिले में एक कपड़े के कारखाने में कपड़ा रंगाई का काम बन्धुआपन की स्थिति में करते है। तब संस्थाओं ने कानूनी प्रक्रिया से गुजरात प्रशासन की मदद से बच्चों को मुक्त कराया और दलाल और कारखाना मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाई। मुक्त कराये गए बच्चे उत्तर प्रदेश के चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले के निवासी थे, जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था बी.एम.वी.एस. को संस्था द्वारा संचालित लीगल एड सेन्टर से एक बच्चे के बन्धुआपन में फंसे होने की जानकारी मिली कि बच्चा श्रीनगर में हैं। इस बच्चे की कहानी इस प्रकार हैः 12 वर्षीय डब्लू पासवान (परिवर्तित नाम) के पिता का नाम प्रमेश्वर पासवान (परिवर्तित नाम) एवं माता का नाम बिन्दु देवी (परिवर्तित नाम) है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रून्नी सैदपुर प्रखण्ड के देवना बुजुर्ग पंचायत का रहने वाला है। डब्लू के पिता ईंट भट्ठा में काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बड़ा भाई भी पहले से दिल्ली में काम कर रहा था। एक दिन डब्लू (परिवर्तित नाम) के पिता के पास एक दलाल आया और समझाया कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो क्यों नहीं डब्लू (परिवर्तित नाम) को भी बड़े भाई के पास भेज देते हो। मैं आपके बड़े बेटा की कम्पनी में हीं काम करता हूँ। उस दलाल द्वारा बहुत समझाने पर डब्लू (परिवर्तित नाम) को उस आदमी के साथ दिल्ली भेजने को तैयार हो गये। डब्लु (परिवर्तित नाम) उसके साथ दिल्ली स्टेशन तक पहुँचा। वहां दलाल पानी के बहाने कहीं चला गया और डब्लू (परिवर्तित नाम) स्टेशन पर भटकने लगा। इतने में उस दलाल का ही कोई दूसरी टीम वहां पर पहुंची और डब्लू (परिवर्तित नाम) से बोला कि तूम मत रोओ। तुझे कहां जाना है? डब्लु (परिवर्तित नाम) बोला कि मुझे मेरे भाई के पास पहुँचा दो। इस बात वह दलाल डब्लू (परिवर्तित नाम) को बोला कि चलो मैं तुमको तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूँगा। लेकिन वह दलाल डब्लू (परिवर्तित नाम) को दिल्ली में भाई के पास न पहुँचा कर उसे श्रीनगर में ले जाकर एक ठेकेदार के पास 25 हजार रूपया में बेच दिया। वह ठेकेदार उससे बहुत ही ज्यादा काम करवाता था। जब डब्लू (परिवर्तित नाम) के पिता की बड़े बेटा से बात हुई तब पता चला कि डब्लू (परिवर्तित नाम) दिल्ली में भाई के पास नहीं पहुंचा है और कहीं गुम हो गया है। डब्लु (परिवर्तित नाम) के पास अपने माता–पिता का मोबाईल नम्बर था। वह एक दिन चोरी से मालिक के मोबाईल से ही अपने माता के पास फोन किया और बोला कि हम श्रीनगर में हैं और हमसे काम करवाया जा रहा है। तब इस बात की सूचना ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था बी.एम.वी.एस. द्वारा संचालित लीगल एड सेन्टर पर आकर डब्लू (परिवर्तित नाम) के माता पिता ने दी। बी.एम.वी.एस. के प्रोग्राम मैनेजर ने डब्लू की मां द्वारा दिये गये नम्बर पर फोन किया, तो उस आदमी ने बोला कि मैंने डब्लू को 25000 में खरीदा हैं। जब तक मेरा पैसा चुकता नहीं होगा, तब तक मैं डब्लू को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद प्रोग्राम मैनेजर ने एच.एल.एन. की साथी संस्था प्रयास से सम्पर्क किया और रेस्क्यू के लिये पहल किया। प्रयास, बी.एम.वी.एस., श्रीनगर के चाईल्ड लाईन एवं ए.एच. टी.यू. की मदद से बच्चा का रेस्क्यू 4 घंटे के अन्दर कर लिया गया। उसके बाद डब्लू को श्रीनगर के बाल गृह में रखा गया और सी.डब्ल्यू.सी. के सामने प्रस्तुत किया गया।

श्रीनगर के सी.डब्ल्यू.सी. ने बी.एम.वी.एस. के साथ मोबाईल द्वारा सम्पर्क किया और लगातार प्रयास करने के बाद डब्लू को 20000 रूप्या सी.डब्ल्यू.सी. श्रीनगर के द्वारा दिलवाया गया और मुक्ति प्रमाण पत्र उसे मिला। उसके बाद उसे अपने अभिभावक के साथ घर वापस भेजा गया। अपने घर वापस आने के बाद सीतामढ़ी सी.डब्ल्यू.सी. के सामने प्रस्तुत किया गया। अभी डब्लू अपने घर पर रहकर नियमित विद्यालय जा रहा है।

इसी तरह ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान वाराणसी ने भी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से उत्तर प्रदेश के 10 बच्चों को टिक्की–पानी की फैक्ट्री से मुक्त कराया और पुनः गुजरात से अन्य कई बच्चों को भी मुक्त कराया।

रेलवे स्टेशन पर गुजर बसर करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी योग्य बनाया

हम सभी जब भी ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो पाते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कई बच्चे घूमते रहते हैं, जो वही स्टेशन पर बड़े होकर अपराधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया गया। इनमें से दो प्राइवेट कंपनी ने उन्हें नौकरी भी दे दी है।

जी हाँ, ऐसे बच्चे जो अपनी जिन्दगी स्टेशन पर जैसे तैसे काट रहे थे, रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल, गुटखा इत्यादि बेचकर अपना गुजारा करते थे, जिनसे कोई बात करना पसन्द नहीं करता था। ऐसे बच्चों को उनकी इस स्थिति से निकालना बहुत कठिन था, परन्तु ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था सेफ सोसाइटी के प्रयास से वो बच्चे इस मुकाम तक पहुंचे कि आज के दिनों में अच्छी पेंटिंग करते हैं। आज उनके भी दोस्त हैं और जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति, गोरखपुर ने इनकी हौसला अफजाई हेतु अपने कार्यालय में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया।

ये बात जितनी सुलझी लग रही है, वास्तव में उतनी सुलझी है नहीं। इसके पीछे सेफ सोसाइटी ने बहुत प्रयास किया।

इन्ही बच्चों में एक हैं विहान (परिवर्तित नाम) ; जो शहर की चकाचौंध को देखते हुये 10 साल पहले अपने गांव से शहर भाग आये थे, ये उनका बचपना ही था। शहर में आने के बाद वे स्टेशन पहुंचे। उन्हें स्टेशन देख कर बड़ा मजा आया। दो–चार दिन घर से लाये कुछ पैसे से खाना पीना हो गया। ये दिन अच्छे से व्यतीत किये। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था क्योंकि वे घर से लाये पैसे से कब तक खाता और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था कि अपना गुजारा करने के लिये इसे भी उन बाकी बच्चों के जैसे काम कर के खुद का गुजारा करता। आखिर वो दिन आ ही गया कि ये पानी की बोतल, गुटखा इत्यादि बेचकर अपना गुजारा करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तथा इसे नशे की लत लग गयी और नशे में धुत रहने लगा। कभी–कभी बड़े लोग अपना काम करवाते थे और उसका मेहनताना भी देना जरुरी नहीं समझते थे और तो और मारते भी थे। इसकी स्थिति बहुत विकट थी तथा स्टेशन पर लगभग सभी बच्चों का हाल ऐसा ही था। उनके लिये प्लेटफार्म ही बिस्तर हुआ करता था। कभी–कभी वे एक निवाले के लिए तरस जाया करते थे और खाली पेट ही सोना पड़ता था। ऐसे में उनकी मुलाकात ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था सेफ सोसाइटी से हुई। वो अपनी सारी बातें संस्था के साथियों से साझा किये। ऐसे कई बच्चे थे जिन्हें इकट्ठा कर उनकी जिन्दगी बेहतर करने के लिए इनके साथ विभिन्न गतिविधियों जैसे क्रिकेट, बैडमिन्टन इत्यादि विभिन्न खेल खेले गये, जिससे ये थोड़ा अलग तरीके से सोचने लगें। इसके बाद इन्हें योगा व विभिन्न गतिविधियों में भी शामिल किया गया। इसके बाद आर्ट बेस्ड़ प्रॉसेस के जरिये इनके दिमाग में विकसित मानसिक आघात को कम किया गया। इसके बाद ये बच्चे अपनी जिन्दगी की अच्छाई व बुराई खुद ही सोचने लगे। एक लड़का नन्दन (परिवर्तित नाम) ने स्टेशन पर रहने के दौरान ही अपनी हाईस्कुल की पढ़ाई शुरु की तथा अपने छोटे भाई, बहनों का स्कुल में दाखिला करवाया। जिन बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर हो रही थी, उनकी सुरक्षित आजीविका के लिए उन्हें पेन्टिंग का प्रशिक्षण दिया गया। पेन्टिंग सीखने के उपरान्त उन बच्चों को रोजगार मिला तथा वे बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहें हैं। संस्था ने उन बच्चों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिये गोरखपुर के जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री जीत सिंह से उन बच्चों की मुलाकात करवाई तथा उनसे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने का आग्रह किया। सेफ सोसाइटी, कला के माध्यम से ऐसे ही बच्चों को उनकी पहचान दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने में कार्यरत है, ताकि ये बच्चे समाज के सभी बच्चों की तरह उनकी बराबरी कर सकें।

प्रधानाध्यापकों को मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी पर दिया गया प्रशिक्षण

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था रोजा ने आजमगढ़ के 3 ब्लाक के 557 प्रधानाध्यापकों (प्रा.वि. एवं उ.प्रा.वि.) को मानव तस्करी, बाल मजदूरी, एवं बाल संरक्षण के बारे में बताया। रोजा के मुख्य कार्यकारी श्री मुस्ताक अहमद का मानना है कि आज के समय में सरकारी स्कूलों में ज्यादातर मजदूर परिवार एवं गरीब परिवार के बच्चे ही आते हैं और ये बच्चे या तो बंधुआ परिवार से होते हैं, या बंधुआ मजदूरी में जा सकते हैं; या बाल मजदूरी में होते हैं। यदि इन बच्चों को इन सबके बारे में तथा संरक्षण कहां से मिलेगा; इसके बारे में जानकारी हो जाय, तो शायद इन बच्चों को मानव तस्करी में जाने से रोका जा सकता है। कभी–कभी बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, या 2–3 महीने बाद आते हैं, तब प्रधानाध्यापक से पूछने पर पता चलता है कि कहीं बाहर चले जाते हैं। प्रधानाध्यापकों से बात करके पता लगाया गया तो पता चला कि ज्यादातर प्रधानाध्यापकों को भी इन सबके बारे में जानकारी नहीं थी। रोसा द्वारा कुल 3 ब्लाक के 557 प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण (एक दिवसीय) दिया गया। ये प्रधानाध्यापक अपने स्कूल में जाकर कुल 54540 बच्चों को प्रशिक्षण के बारे में तथा बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी एवं मानव तस्करी के बारे में बताएंगे तथा यदि इसमें से कोई बच्चा इन परिस्थितियों में फंसता है तो 1098 तथा AHTU, CWC को बताएंगे।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन

ह्यूमन लिबर्टी की साथी संस्था सेन्टर डायरेक्ट एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में गया जिले के शेरघाटी प्रखंड कार्यालय परिसर के ट्राईसेम भवन में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में शामिल हुए शेरघाटी प्रखंड के बीडीओ श्री संतोष कुमार सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि यह अधिनियम बच्चों के संरक्षण की बात करता है। बाल मजदूरी, बाल विवाह, बच्चों का स्कूल नहीं जाना जैसी समस्याओं से आज भी हमारे समाज के बच्चे प्रभावित हो रहें हैं। इससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। बच्चों के लिए सुरक्षा का माहौल बनाना समुदाय, समाज एवं सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है।

सेन्टर डायरेक्ट के कार्यपालक निदेशक सुरेश कुमार ने बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल मजदूरी एवं बच्चों की शिक्षा से जूड़े हुए महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने इस शिविर के माध्यम से कानूनी मामलों में आ रही कठिनाईयों के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों या परामर्श केंद्र को सूचना देने की अपील भी की। सेंटर डायरेक्ट के जिला समन्वयक दीनानाथ मौर्य ने कहा कि बाल मजदूरी, मानव व्यापार और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सेंटर डायरेक्ट द्वारा जिले में लगातार अभियान चलाए जा रहें हैं। इस मौके पर स्थानीय सीओएल बड़ाइक, बीईओ सुनील कुमार, सीडीपीओ, पैनल लॉयर नीरज कश्यप तथा संस्था के कार्यकर्ता सरोज कुमार, विजय केवट, राज ठाकुर, अर्चना कुमारी, वेंकटेश कुमार भी मैजूद थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठक में ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा।

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर किये गए विभिन्न कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान (ILO), संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक अंग है, जो कि पूरी दुनिया में श्रमिकों की स्थिति को बेहतर करने हेतु कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्थान (ILO) ने सन् 2002 में बाल श्रमिकों की समस्या पर सभी का ध्यान आकर्षित करने एवं इस समस्या से लड़ने हेतु 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया और तभी से हर वर्ष पूरी दुनिया में इस दिन बाल श्रम के मुद्दे पर विभिन्न कार्यक्रम सरकारों एवं गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा किये जाते हैं।

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क ने भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम किये जैसे जागरूकता रैली निकालना हस्ताक्षर अभियान, होटल मालिकों से शपथ पत्र भरवाना आदि . इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी जिले में बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर "बाल श्रम के सवाल और जमीनी पत्रकारिता" विषयक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था भूसुरा महिला विकास समिति, अदिथी एवं सेंटर डायरेक्ट के द्वारा जिले के पत्रकारों से चर्चा की। इस कार्यक्रम में उपस्थित सेंटर डायरेक्ट के कार्यकारी निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे से श्रम करवाना क़ानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग (ठेकेदार) वंचित समुदाय के बच्चों और उनके अभिभावकों को तरह–तरह का प्रलोभन देकर बाल मजदूरी करवाते हैं तथा उनका शोषण करते हैं। ऐसी स्तिथि में बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हो भी जाते हैं।

प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार श्री पुष्य मित्र ने कहा कि बाल श्रम से जुड़े हुए जमीनी मुद्दों की जानकारियों को लेकर यदि पत्रिकाओं में खबरें प्रकाशित की जाएं, तो इसका व्यापक असर होगा और क्षेत्र में बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लग सकेगा। इस परिचर्चा में उपस्थित सेंटर डायरेक्ट के परियोजना समन्वयक संदीप कुमार ने कहा कि बच्चों के पोषण तथा उनके लिए कौशल विकास की योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूगता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

अदिथी संस्था की परिणीता कुमारी ने बताया कि वर्ष 2018 में 167 बाल श्रमिकों को मुक्त करा कर उनके पुनर्वास के लिए प्रयास किया गया था, जिसमें सरकारी स्तर से अब तक मात्र 33 को ही पुनर्वास की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम जैसे मुद्दों पर कलमकारों को आवाज़ उठाने की ज़रुरत है और इसमें उन्होंने सहयोग की अपेक्षा उपस्थित पत्रकारों से की, ताकि इस मुहिम से समुदाय में बाल श्रम रोकथाम और इसमें दिए हुए कानूनी प्रावधानों की समझ विकसित हो सके।

देह व्यापार के दलदल से मुक्त करा कर दिया गया आत्मनिर्भरता का कौशल प्रशिक्षण

रेड लाइट एरिया से 12 मासूम नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के दलदल से मुक्त करा कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा गया।

बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक रेड लाइट एरिया, जहाँ अलग–अलग राज्यों से कम उम्र की गरीब एवं दलित परिवार की लड़कियों को तस्करी करके लाया जाता है एवं उन्हें देह व्यापार के कार्य में जोर–जबरदस्ती से, यातनाओं के साथ लगा दिया जाता है। जिले की इस रेड लाइट एरिया के निवासी सभी देह व्यापार के पेशे से जुड़े हुए हैं, जो बदले हुए नाम से दुसरे राज्यों एवं शहरों से गरीब लड़कियों को शादी करने का प्रलोभन या नौकरी दिलाने के नाम पर बहला–फुसला कर लाते हैं और कुछ दिन तक समझाकर या दबाव डालकर उन्हें इस पेशे में उतार देते हैं। नहीं मानने पर मारना–पीटना तथा अन्य तरीके से प्रताड़ित कर उनसे जबरन देह व्यापार करवाया जाता है। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कोठा मालकिन ही रखती है तथा ग्राहक द्वारा दिए गये टिप्स लड़कियां रखती हैं।

इसी एरिया में ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्थाओं ने पुलिस बल और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 12 मासूम नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के पेशे से मुक्त कराया एवं जिन घरों में ये अपराध चल रहा था, उन्हें सील करवाया गया। इन्हें विमुक्त कराने के पश्चात बाल कल्याण समिति सीतामढ़ी के आदेश पर उन्हें बालिका गृह पटना में सुरक्षित रखा गया, जहाँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया; ताकि वे आगे से देह व्यापार के धंधे में फिर से नहीं जाएं। समिति के ही आदेश पर उनके पते का गृह सत्यापन कराया गया एवं संस्थाओं के द्वारा उनके अभिभावकों की काउन्सलिंग की गयी। तब जाकर कुछ बच्चियों को उनकी सहमति के साथ एवं अभिभावकों के आग्रह को देखते हुए बच्चियों को सुरक्षित उनके माता–पिता/अभिभावकों को सोंपा गया। दो बालिका, जिनके अभिभावकों ने ही उन्हें बेचा था; को अभी बालिका गृह में ही रखा गया है एवं उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाल कल्याण समिति सीतामढ़ी के आदेश से महिला होम कलकत्ता या सेवेन सिस्टर गोवाहाटी भी भेजने का प्रयास किया जा रहा है।

दासता उन्मूलन के लिए सामुदायिक निगरानी समिति की सफलता और उनके बढ़ते कदम

जैसा कि पहले के अंकों में भी सामुदायिक निगरानी समिति के बारे में बताया गया है कि यह एक ऐसी समिति है, जिसमें समुदाय के लोग ही भागीदारी करते हैं और अपने समुदाय को आधुनिक दासता से बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं।

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की लगभग सभी संस्थाएं अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सामुदायिक निगरानी समिति बनवाते हैं और यह समिति दिन प्रतिदिन दासता उन्मूलन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ रही है।

ऐसी ही सफलता की एक कहानी है टोला गाँव मच्छरगावाँ, कोटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार की सामुदायिक निगरानी समिति की, जिसने अपने गाँव के एक बन्धुआ मजदुर को तमिलनाडु से मुक्त कराया।

यह कहानी राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) पिता प्रवेश बाबू मांझी मुसहरी (परिवर्तित नाम) की है। वह गरीबी के स्तर से नीचे का परिवार है। परिवार के सभी सदस्य राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) पर निर्भर थे। घर में बड़े होने के कारण और पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वह पैसा कमाना चाहता था। इसी का फ़ायदा उठा कर सुरेन्द्र सहनी नाम का एक दलाल जो की पूर्वी चंपारण का रहने वाला था, उसको ले कर तमिलनाडु चला गया। उसने राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) और उसके परिवार से वादा किया कि 10000 रुपया प्रतिमाह दिया जायेगा और ठंडा की फैक्ट्री में काम मिलेगा। वहाँ पहुचने के बाद उसे नारियल फैक्ट्री में भेज दिया गया। उससे रोजाना 14 से 15 घंटे काम लिया जाने लगा।

उसको कहीं आने–जाने की आजादी नहीं थी और उनको बंद कमरे में रखा जाता था। वो हमेशा निगरानी में रहता था। जैसे खाने के समय, यहाँ तक की शौचालय जाने के समय भी वो निगरानी में रहता था। रात में सोने के बाद कमरे को ताला लगा के बंद कर दिया जाता था। कम खाना दिया जाता था और हमेशा मारा पीटा जाता था। राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) के परिवार को एडवांस पैसा दिया गया और वादा किया गया कि प्रत्येक महीने पैसा उनके घर पहुँच जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तमिलनाडु में इरोड, नेता कारी चौक के पास नारियल फैक्ट्री (अमन कैरमिल कंपनी) में काम कराने लगा। 5 साल तक काम कराने के बाद उन्हें बस दो बार पैसा दिया गया। एक बार जब उसकी तबियत ख़राब थी और एक बार होली के समय 6000 रुपया दिया गया; जब तबियत ख़राब थी; और होली के समय 4000 रुपया दिया गया।

जब राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) के परिवार को पता लगा कि उसका बच्चा वहाँ फंस गया है, तो उसने सामुदायिक निगरानी समिति के लोगों से संपर्क किया गया। सामुदायिक निगरानी समिति के लोगों ने ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था आईडिया के कार्यकर्ता से इस जानकारी को साझा किया। संस्था के कार्यकर्ता ने पहले सभी जानकारी को अपने स्तर से देखा और फिर कंपनी में फ़ोन से संपर्क किया, तो कंपनी ने बताया कि वो हर महीने उसके काम का पैसा सुरेन्द्र सहनी को देता आ रहा है। बच्चें के बारे में जानकारी, जो कि की साथी संस्था को पता था, बताया गया और बोला गया कि जल्द से जल्द बच्चे को वहाँ से वापस उसके घर भेजें। उनको ये भी बताया गया कि आप ने गलत काम किया है, इसकी सजा भी है। उसके बाद हमने सुरेन्द्र सहनी से संपर्क किया और उसको भी बोला कि बच्चे को जल्द से जल्द उसके घर वापिस भेजो। पर सुरेन्द्र सहनी मानने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर कोटवा थाने से संपर्क कर उसको इस बारे में जानकारी दी गयी। थाने ने अपने स्तर से बात कर के सुरेन्द्र सहनी को हिदयात दी कि जल्द से जल्द बच्चे को उसके घर वापिस भेजो। इसके अलावा सामुदायिक निगरानी समिति ने रोज सुरेन्द्र सहनी को डराना धमकाना शुरु किया। इसका असर ये हुआ कि जल्द ही बच्चा वापिस घर आ गया।

घर वापिस आने के बाद उस बच्चे से मिला गया और परामर्श दिया गया। उस बच्चे से फिर से पूरी जानकारी ली गयी, उसके काम करने के समय और तरीके के बारे में। उसके बाद सामुदायिक निगरानी समिति के लोगों ने विचार–विमर्श के बाद यह तय किया कि दलाल (सुरेन्द्र सहनी) पर FIR दर्ज करायी जाये और सामुदायिक निगरानी समिति के लोगों ने सुरेन्द्र सहनी पर FIR पुलिस थाने में दर्ज करायी है।

मीडिया में ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क

रक्सौल जागरण

बाल विवाह अभिशाप, रोकथाम के लिए लोगों को करें जागरूक

प्रयास संस्था और डंकन अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन

रक्सौल, संस : प्रखंड क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भरतमही के प्रांगण में सोमवार को प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर रक्सौल और आशीष परियोजना डंकन हॉस्पिटल रक्सौल द्वारा संयुक्त रूप से अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आशीष प्रोजेक्ट के समीर दिगल ने ग्रामीणों को बाल विवाह के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। प्रयास संस्था की आरती कुमारी ने बच्चों को उनके उम्र के बारे में बताया कि जिन लड़के-लड़कियों ने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, वह नाबालिग हैं। बताया कि लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद ही करना चाहिए।

वहीं प्रयास मोतिहारी के विजय कुमार शर्मा ने बताया कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। चाइल्ड लाइन रक्सौल के अमित कुमार ने बच्चों और ग्रामीणों को 1098 टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी। जिसमें बच्चे संबंधी कोई भी समस्या का समाधान किया जाता है। इसके साथ अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह ना हो, इसके लिए मंदिर व मस्जिद जाकर पंडित और मौलवी से मिल कर जागरूक किया गया। मौके पर प्रयास संस्था के राज गुप्ता, आशीष संस्था से मुकेश, दिलीप, अंशुता, शालिनी, स्कूल के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार, शिल्पा कुमारी, प्रमोद कुमार, कुमारी अपराजिता सहित अन्य उपस्थित थे।

पहल

- बाल विवाह कि 1098 टोल फ्री नंबर पर दें जानकारी
- लड़की की 18 और लड़कों की 21 वर्ष पूर्व न करें शादी

कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि व अन्य • जागरण

मानव तस्करी रोकने को चलाया गया अभियान, थाने में दी गई जानकारी

तटवासी समाज न्यास के तत्वावधान में कार्यक्रम

सिटी रिपोर्टर | हिसुआ

मानव तस्करी रोकने को लेकर रविवार की शाम थाना परिसर में जागरुकता अभियान चलाया गया । तटवासी समाज न्यास समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में संस्था की समन्वयक कल्याणी कुमारी ने कहा की आज के परिवेश में मानव तस्करी एक आम बात हो गई है । यह समाज को दीमक की भांति चाट रहा है । कहा कि समाज के कुछ असामाजिक तत्व कुछ रुपए की लालच में बेरोजगार युवक- युवती को नौकरी व सुनहले भविष्य बनाने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लेते और उनसे अनैतिक काम करवाते हैं। उन्हें देह व्यापार, बंधुआ मजदुरी, वेश्यावृति, निर्माण कार्य, किराए की कोख, सहित अन्य घिनौने कार्यों में ढकेल दिया जाता है । उन्होंने पुलिस प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि समाज के अन्दर जब कोई व्यक्ति इस तरह का प्रलोभन देता है। थानाध्यक्ष राजकुमार समेत अन्य थे।

होटल मालिकों ने भरा शपथपत्र बाल श्रमिकों से नहीं लेंगे काम

सिटी रिपोर्टर | बिहारशरीफ

श्रम संसाधन विभाग के तहत तटवासी समाज न्यास द्वारा श्रम कल्याण भवन से जागरुकता रथ निकाला गया। जागरुकता रथ के माध्यम से शनिवार को बिहारशरीफ, नूरसराय, चंडी और नगरनौसा प्रखंड में लोगों को बाल श्रम निषेध के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। रथ के साथ चल रहे लोगों ने खासकर ग्रामीण इलाके के लोगों को बताया कि बाल श्रम समाज के लिए एक अभिशाप है और आज भी बच्चे बाल श्रम के वजह से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पढ़ने-लिखने की उम्र में बच्चों से होटलों, ढाबों, घरेलू कार्यों व अवैध कारखानों में काम करवाया जाता है। जिससे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। जागरुकता अभियान में श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी, फिरोज अहमद, तटवासी समाज न्यास के जिला समन्वयक शैलेन्द्र प्रसाद, उप समन्वयक नवीन कुमार, श्रम पवर्तन पदाधिकारी सुबोध कुमार, निलम कुमारी, शिवनारायण आजाद आदि शामिल थे।

जागरुकता वाहन के साथ संबंधित लोग।

भराया गया शपथ पत्र

होटल मालिकों और विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालकों से शपथ पत्र भरवाया गया कि वह किसी भी स्थिति में बाल श्रमिकों से काम नहीं लेंगे। ऐसा करने पर दंड के भागीदार होंगे। अभियान के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन के लिए आगे आने की अपील की गयी।

आइये जानें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) के बारे में

एडवोकेट संजू सिंह, जस्टिस वेंचर इंटरनेशनल

व्यक्तियों की तस्करी एक संज्ञेय अपराध है। इससे निपटने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट; (AHTU) मतलब मानव तस्करी विरोधी इकाई को स्थापित किया गया है। यह व्यक्तियों को तस्करी से रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए एकत्रित कार्यबल है, जिसमें पुलिस और महिलाओं के प्रति प्रशिक्षित संवेदनशील अधिकारियों, बाल कल्याण विभाग और स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि एक सुसंगत इकाई के रूप में कार्य करता हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) को राज्य सरकार द्वारा पूरे जिले की ओर से मानव तस्करी के अपराध से संबंधित सभी मामलों के पंजीकरण और जांच के लिए पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित किया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की स्थापना गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा 2006 में हुई। इस इकाई की स्थापना भारत में तस्करी के खिलाफ कानून प्रवर्तन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए की गई।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की पुलिस संरचना :

1. एक इंस्पेक्टर,
2. दो सब–इंस्पेक्टर,
3. दो हेड–कांस्टेबल
4. एक कांस्टेबल

एक प्रतिनिधि निम्नलिखित राज्य विभाग से जुड़ा होना चाहिए; जब भी आवश्यकता हो

1. महिला बाल विकास
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
3. श्रम और रोजगार
4. अभियोग

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की भूमिकाएं :

1. तस्करी के सभी तीन पहलुओं; अर्थात रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन पक्ष में भाग लेना।
2. तस्करों पर डेटाबेस विकसित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर एजेंसियों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।
3. कानून प्रवर्तन प्रक्रिया में मौजूदा अंतराल को संबोधित करना, तस्करी का मुकाबला करने के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में सेवा करना तथा सभी हितधारकों; यानी पुलिस, अभियोजन, बचाव, गैर–सरकारी संगठनों आदि कें सहयेाग से काम करना।
4. कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद करना, संबंधित सरकारी विभाग और गैर–सरकारी संगठन; जिनके पास विशेषज्ञता एवं क्षमता है, उनके सहयेाग से पीड़ितों की सहायता करना।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की जिम्मेदारियाँ :

1. विभिन्न विभागों की टीमों के साथ मिलकर वास्तविक छापेमारी करना और पीड़ितों को बचाना।
2. मानव तस्करी के अपराधों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना, एक बहु–विषयक दृष्टिकोण प्रदान करना और सभी हितधारकों द्वारा एक संयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
3. पुलिस और अन्य सभी सरकारी एजेंसियों और विभागों के बीच अंतर–विभागीय समन्वय लाना।
4. पुलिस स्रोतों, या गैर–सरकारी संगठनों या सिविल सोसायटी से तस्करी की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर बचाव अभियान चलाने में एनजीओ की सहायता करना।
5. एक पीड़ित–केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना; जो कि पीड़ित का सबसे अच्छा हित सुनिश्चित करता है और पीड़ित के पुनः उत्पीड़न को भी रोकता है।
6. तस्करी से निपटने के लिए एक लैंगिक संवेदनशील और बाल अधिकार संवेदनशील दृष्टिकोण सुनिश्चित करना।
7. संग्रह और विकास के लिए ज़मीनी स्तरीय इकाई के रूप में कार्य करना। अपराध के सभी कानूनी पहलुओं पर डेटाबेस, जानकारी सहित तस्करों और तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में जिला और राज्य अपराध रिकॅार्ड ब्यूरो से अवगत कराना; ताकि वे यह डाटा राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध करा सकें।

बंधुआ मजदूरी से मुक्त होकर बच्चों को, बंधुआ मजदूरी में फंसने से बचाने हेतु कर रहे हैं प्रयास

7 साल पहले कमलेश के पिता ने घप्पू सिंह (ईंट भट्ठा मालिक) से 5000 रुपये लिए। इस उधार दिए गए पैसे के बदले में, मालिक चाहते थे कि वे उसके लिए ईंटें बनाने का काम करें। कमलेश के माता–पिता; दोनों वहां 5 साल तक काम करते रहे। उस समय की अवधि में, मालिक उन्हें प्रति सप्ताह 1000/– देता था जबकि वे आमतौर पर एक ही दिन में 1000 ईंटें बनाते थे जिसके हिसाब से उनकी मजदूरी प्रतिदिन की 400/– बनती थी। उन्होंने हमेशा सुबह 3 बजे से रात 8 बजे तक काम किया था। कमलेश पढ़ाई में बहुत अच्छा छात्र था और वह आगे भी पढ़ाई करना चाहता था। जब भी वह स्कूल जाता था, मालिक उसे नहीं जाने देते थे। मालिक ने उसे बेरहमी से पीटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन फिर भी कमलेश छुप–छुपा के कई बार स्कूल चला जाता था। मालिक उन्हें कर्जा चुकता करने के नाम पर बहुत काम देता था और पैसे मांगने पर पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन कमलेश के माता–पिता ने निर्णय लिया कि वे दोनों मालिक के यहाँ से काम छोड़ कर कहीं और काम करेंगे। एक दिन जब कमलेश के पिता और माँ काम के लिए कहीं ओर चले गए और वह अपने घर में अकेला था तब मालिक के कुछ लोग आए और कमलेश को उठा कर उसे मालिक के पास ले गए। मालिक ने उसे 2 दिनों तक रखा और उसे लगातार परेशान किया और उसके पिता द्वारा लिए गए धन के बारे में झूठ बोला। मालिक ने कहा तुम्हारे पिता ने मुझसे डेढ़ लाख

लिए हैं और काम करने कहीं और चला गया है। अब तुम्हे मेरे लिए काम करना है। कमलेश पूरे सदमे में था और उसने यह मानने से इंकार कर दिया कि उसके पिता ने इतना पैसा लिया है। मालिक ने उसे खाने के लिए मुश्किल से खाना दिया। मालिक के आदमी कमलेश पर पुरी तरह नज़र रखे हुए थे और जब भी उसने भागने की कोशिश की, तो उसे पकड़ कर मारा गया। संयोग से उसे वहां एक फोन मिला और उसने अपनी माँ को फ़ोन पर ही सब कुछ बताया। चूँकि कमलेश ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था रोजा के बारे में जानता था, तो उसने माँ को कहा कि वह रोजा संस्था के लोगों को मदद के लिए बुलाएं। फिर, संस्था के साथियों ने कमलेश के माता–पिता का साथ दिया और उन्हें डी.एम. कार्यालय ले गए। माता–पिता ने डी. एम. से निवेदन किया कि वह उनके बच्चे को मालिक से बचा ले। तब डी. एम. ने पुलिस के माध्यम से कमलेश को मालिक से मुक्त कराया।

वर्तमान में कमलेश बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो गया है और रोजा संस्था ने उसको और इसके परिवार के सहयोग हेतु पूरी सहायता की। आज कमलेश संस्था से जुड़ कर गांव के अन्य बच्चों को पढ़ाता है और गाँव में बंधुआ मजदूरी के बारे में लोगों को जानकारी भी देता है। साथ ही यदि कोई बच्चा बंधुआ मजदूरी में फंसने वाला होता है, तो संस्था के साथियों को इसकी सुचना देकर उसे बंधुआ मजदूरी में जाने से बचाता है।

यौन शोषण की पीड़िता को दिलायी तीन लाख की मुआवजा राशि

यौन शोषण की पीड़िता बालिका साधना (परिवर्तित नाम) को जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटिहार (बिहार) के सहयोग से 03 लाख की मुआवजा राशि प्राप्त हुयी।

बालिका साधना (परिवर्तित नाम), जो कि बिहार के कटिहार जिले के एक गाँव में अपने गरीब भूमिहीन परिवार के साथ मिट्टी एवं बांस के कच्चे घर में रहती है। आज से दो साल पहले जब वो 13 वर्ष की थी, तब उसी के समुदाय के एक 55 वर्ष के व्यक्ति ने उसके साथ लैंगिक शोषण जैसा जघन्य अपराध किया। ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था तटवासी समाज न्यास को घटना के तीन माह बाद इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने लड़की एवं उनके माता–पिता को पूरा कानूनी सहयोग देने का वादा किया और कानूनी प्रक्रिया शुरू करवाई। सर्वप्रथम संस्था ने घटना की जानकारी बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को दी एवं समिति के निर्देशानुसार एवं संस्था के प्रयासों से सम्बंधित थाने

में घटना की प्राथमिक सुचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई। कानूनी प्रक्रिया के तहत जब बालिका का मेडिकल करवाया गया, तब पता चला कि बालिका गर्भवती है। जैसे ही सबको मालुम चला की बालिका गर्भवती है, सभी दंग रह गए और परिवार की हालत तो और भी खराब हो गयी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें ? कैसे समाज में मुह दिखाएँगे ? तब संस्था के साथियों ने परिवार को संभाला और उन्हें गर्भपात कराने के निवेदन के साथ बाल कल्याण समिति लेकर गए। समिति ने सभी कानूनी पक्षों और डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी। समिति ने कहा, चूँकि बालिका की खुद की उम्र बहुत कम है और डॉक्टर ने बताया कि इसमें खून की कमी है यदि गर्भपात कराया गया, तो बालिका की मृत्यु हो सकती है। अतः बाल हित में निर्णय लेते हुए समिति ने बालिका को बाल संरक्षण गृह में रखकर सुरक्षित प्रसव करवाया और नवजात शिशु को विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी) में बालिका एवं उसके पिता की सहमति से रखवा दिया। दूसरी ओर पुलिस अपराधी को खोज रही थी, पर वो फरार था।

चूँकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो संस्था ने बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजा दिलाने की सोची और इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दिया। आवेदन देने के पश्चात् संस्था के साथी बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लगातार बालिका के सम्बन्ध में फॉलो–अप करते रहे, साथ ही बालिका के परिवार से भी मिलते रहे। निरंतर प्रयास से अंततः बालिका को तीन लाख का मुआवजा मिला।

मुआवजे की राशि को उचित एवं बालिका के हित में उपयोग करने हेतु भी संस्था ने सहयोग दिया और दो लाख रुपये बालिका के नाम से फिक्स डिपाजिट करवाये। बाकी एक लाख में से पचास हजार का एक कर्जा लौटाया गया एवं बाकी पचास हजार से पिता के द्वारा धान मिल का व्यापार शुरू किया; ताकि वह परिवार एवं बालिका का उचित पालन पोषण कर सके। संस्था ने बालिका का नाम स्कूल में लिखाया और वह अब स्कूल भी जा रही है। चूँकि परिवार भूमिहीन है, इसलिए सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। संस्था उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। पुलिस द्वारा अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वह अब जमानत पर है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। संस्था के कानूनी सलाहकार मामले पर नजर रखे हुए हैं और अपराधी को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं।

आर्केस्ट्रा की आड़ में चलता है मानव तस्करी का धंधा : सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेतिया

आइये ! मिलते हैं श्री धीरेन्द्र जी से; जो कि बिहार के बेतिया जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं। श्री धीरेन्द्र जी बहुत ही सकारात्मक और समाज के भले के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्री धीरेन्द्र जी कई वर्षों से अपनी सेवाएं बिहार की न्यायिक व्यवस्था में दे रहे हैं और वर्तमान में बिहार के बेतिया जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सभी को न्याय मिल सके; इस हेतु प्रयासरत हैं। बेतिया जिले में जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है, तो सभी की जुबान पर श्री धीरेन्द्र जी का ही नाम आता है। ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था फकीराना सिस्टर्स सोसाइटी को भी श्री धीरेन्द्र जी ने मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर अपना पूर्ण सहयोग दिया है और हमेशा संस्था के निवेदन पर कार्यक्रमों में उपस्थित होकर संस्था एवं उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया है। ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था ने श्री धीरेन्द्र जी से बेतिया जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कुछ चर्चा की; जिसके कुछ अंश आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं।

प्रश्न 1 : बेतिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आप कैसे संचालित करते हैं ?

उत्तर : बेतिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को हम प्राधिकरण में उपस्थित कर्मचारी, पैरा लीगल वालंटियर और स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर संचालित करते हैं। वर्तमान में प्राधिकरण में 08 चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। जिला स्तर पर 100 पैरा लीगल वालंटियर हैं, जो कि जमीनी स्तर तक प्राधिकरण की सेवाओं को ले जाने में हमारी मदद करते हैं।

प्रश्न 2 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन क्यों किया गया ?

उत्तर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन समाज के सभी स्तर तक न्याय को पहुंचाने हेतु किया गया है। देश की न्याय व्यवस्था का यह विश्वास है कि न्याय सब के लिए है और सब तक न्याय पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीबों; जिनकी वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से कम है, और जरुरतमंदों को जैसे: अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रान्सजेन्डर महिला, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, तेजाब पीड़ित, मानव व्यापार के पीड़ित, HIV एवं केन्सर से पीड़ित, दिव्यांग एवं प्राकृतिक आपदा के पीडित लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देता है। लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाता है; क्योंकि हमारे देश में किसी भी अपराध से यह कह कर नहीं बचा जा सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं है। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है एवं बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी एवं बाल श्रम जैसे अपराधों को रोकने हेतु जागरूकता कार्यक्रम करवाता है।

प्रश्न 3 : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों की किस प्रकार मदद करता है ?

उत्तर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है जिसके लिए जिले में लगभग 75 अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में हैं। सभी पैनल अधिवक्ता नियमानुसार गरीब और जरुरतमंदों को कानूनी सहायता एवं सलाह देते हैं, ताकि कोई भी न्याय से वंचित न रह सके।

प्रश्न 4: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मानव व्यापार पर क्या काम करता है ?

उत्तर : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सभी जरुरतमंदों को कानूनी सलाह एवं सहायता दी जाती है, तो वे मानव व्यापार के पीड़ित भी हो सकते हैं। इसके अलावा बेतिया जिले में प्राधिकरण ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था के साथ मिलकर समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम करती है। इसके अलावा जिले में जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, उसके साथ मिलकर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम करती है।

प्रश्न 5 : वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यतः किन–किन मुद्दों पर कार्य करती है ?

उत्तर : देखिये; वैसे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य काम सब तक न्याय पहुंचाना है और जो भी हमें आवेदन देता है, उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क अधिवक्ता प्रदान करता है; फिर भी हम अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चे एवं महिलाओं; विशेषतः लैंगिक शोषण से पीड़ित लोगों के मुद्दों को लेकर काम कर रहा है। साथ ही बिहार विक्टिम कंपेनसेशन स्कीम 2018 के तहत भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ितों को कंपेनसेशन (मुआवजा) राशि दिलाने हेतु प्रयासरत है। मॉब लिंचिंग पीड़ित एवं जेल में रह रहे कैदी एवं उनके परिवारों को भी न्याय दिलाने हेतु जिला विधिक प्राधिकरण कार्यरत है।

प्रश्न 6 : मानव तस्करी के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : यह एक जघन्य अपराध है, जो कि बड़े ही संगठित तरीके से चलता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह विश्व का तीसरा बड़ा अपराध है। इस अपराध के पीड़ित अधिकांशतः गरीब और पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मैंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें जबरदस्ती काम कराने के लिए मानव तस्करी सबसे अधिक होती है, ऐसा बताया गया था। इससे मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी आर्केस्ट्रा में जबरदस्ती काम कराने के लिए मानव व्यापार का अपराध बहुत होता है। इसके साथ ही रेड लाइट एरिया में भी लड़कियों की मानव तस्करी होती है। चूँकि यह बेहद गंभीर समस्या है, इसलिए भारत सरकार मानव तस्करी पर जल्द ही एक कानून भी ला रही है।

प्रश्न 7 : मानव तस्करी को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के बारे में आपका क्या विचार है ?

उत्तर : देखिये, यह एक बहुत ही उपयोग में आने वाली धारा है और पुलिस इसका उपयोग करके जिले से मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुरायी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है। हालाँकि मेरी जानकारी में अभी बेतिया जिले में ऐसे केस बहुत कम हैं; या ना के बराबर हैं।

प्रश्न 8 : क्या पैरा लीगल वालंटियर मानव तस्करी को रोकने में सहायक हो सकते हैं ?

उत्तर : जी हाँ; बिलकुल अभी हाल ही में बाल कल्याण समिति एवं थाने में पैरा लीगल वालंटियर की बहाली हुई है एवं मानव व्यापार से जुड़े केसों हेतु निःशुल्क परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में Front Office की स्थापना की गई है। इसके अलावा यह भी समझना होगा कि सभी पैरा लीगल वालंटियर लोकल समुदाय के ही रहने वाले हैं और जब भी उन्हें मानव तस्करी जैसे मामलों की जानकारी मिलती है, तो वे थाने से और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके उस अपराध को रोकने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं और यदि अपराध हो गया है, तो पीड़ित को न्याय दिला सकते हैं।

प्रश्न 9 : ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : (हँसते हुए) देखिये यह नेटवर्क बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और समाज में जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जैसे मानव तस्करी, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, बाल विवाह और योन शोषण पर इस नेटवर्क की संस्थाएं न केवल राज्य स्तर पर बल्कि गाँव में भी जमीनी स्तर पर काम करती हैं। मैंने जितने भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, तो मुझे आशा है कि शायद आप लोगों के प्रयास से समाज में कुछ बदलाव आ रहा है।

प्रश्न 10 : ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क को आप कुछ सलाह देना चाहेंगे ?

उत्तर : देखिये, आप लोग तो सामाजिक मुद्दों पर हमसे ज्यादा समझ रखते हैं; क्योंकि हम तो अपनी न्यायिक व्यवस्था में रहकर ही जितना इसके बारे में जान सके हैं, वही जाने हैं; पर आप लोग जमीन पर काम करते हैं। लेकिन मैं यह सलाह जरुर दूंगा कि यदि आप किसी पीड़ित को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आप उन्हें पैरा लीगल वालंटियर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी जरुर दें और उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़ें भी। इसके अलावा यदि आप पैरा लीगल वालंटियर की ट्रेनिंग भी नियमित रूप से विभिन्न विषयों पर करें, तो वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

प्रश्न 11 :अंत में आप समाज को क्या सन्देश देना चाहेंगे ?

उत्तर समाज से में यही कहना चाहूँगा कि वे अपने देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें और कभी भी अन्याय को सहें नहीं। जब भी किसी को भी कानूनी सहायता की जरुरत हो, तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करे और वह अपनी समस्या बताये; ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके और वे न्याय पा सकें।

उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में पार्टनर्स : ऑगन ट्रस्ट, चाइल्डहुड एनहांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन (चेतना), गुड़िया स्वयं सेवी संस्था, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान, प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान, रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एडवांसमेंट-रोजा, सेफ सोसाइटी, तरुण चेतना, ग्रामीण विकास संसथान, ग्राम स्वराज समिति, शिखर प्रशिक्षण संस्थान, आजाद शक्ति अभियान (CBO), प्रगति वाहिनी (CBO)

बिहार के 19 जिलों में पार्टनर्स : अदिथि, ऑगन ट्रस्ट, भुसुरा महिला विकास समिति, सेण्टर डायरेक्ट, डंकन हॉस्पिटल, फकीराना सिस्टर्स सोसाइटी, इंस्टीट्यूट फॉर डवलपमेंट एजुकेशन एंड एक्शन (आइडिया), इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन (आई.डी.एफ.), निर्देश, प्रयास, तटवासी समाज न्यास।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क (बिहार कार्यालय)
129 ई, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना, बिहार
फोन- 0612-2265938 , मो.-9334114078
Email – hlnetworkbihar@gmail.com

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क (उत्तर प्रदेश कार्यालय)
565 क/80, सिंगार नगर गेट के सामने, आलमबाग, लखनऊ, (उ. प्र.)
फोन- 0522-4233706, मो.- 9012640281,
Email – humanlibertynetwork18@gmail.com

Website – www.humanlibertynetwork.org

संपादकीय सहयोगी
ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सभी साथी संस्थाएं

सीमित प्रसार हेतु ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क का प्रकाशन

Designed & Printed at RBH Media Designers, 9810985063